रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART 1—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 1975/अग्रहायण 20, 1897
No. 242] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 1975/AGRAHAYANA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th December 1975

SUBJECT—*Import policy for Newsprint—Printing and Writing Paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp mounting to not less than 70% of the fibre contents—S No. 44/V for the year April, 1975—March, 1976*

No. 128-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No 34-ITC(PN)/75, dated the 19th May, 1975, as amended *vide* Public Notice No. 102-ITC(PN)/75, dated the 27th September, 1975 on the subject mentioned above

2 Remark VI upto and including Notes 1(b) may be deemed to have been substituted by the revised remark as given in the Annexure to this Public Notice

ANNEXURE

Remark VI—The entitlement of applicants will be met by issue of allotments of newsprint mentioned in Schedule I of Newsprint Control Order, 1962, as amended from time to time by way of authorisations either on the buffer stocks of State Trading Corporation of India Limited or National Newsprint and Paper Mills Limited Nepanagar or both 25% of the entitlement of every paper will be made against Nepa Mills The Registrar of Newspapers, however, will have the discretion to raise this percentage to 30% or more, if necessary.

NOTE 1 (a)—Newsprint imports from abroad have been canalised through the State Trading Corporation of India Limited

(b) Applicants opting for imports will have to lift their quota only from the buffer stocks of State Trading Corporation of India Limited. Allotments already made to newspapers for high seas sale will not be operative during the remaining portion of the current licensing year.

ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1975

विषय :—वर्ष अप्रैल, 1975—मार्च 1976 के लिए क्रम संख्या 44/5—अखबारी कागज—मुद्रण तथा लिखने के लिए कागज (लेड मार्क कागज को छोड़ कर) जिसमें यांत्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तन्तुक अंशों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं है, के लिए आयात नीति।

सं० 128-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 102-आई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 27 सितम्बर, 1975 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 34 आई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 19 मई, 1975 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. टिप्पणी 1(बी) तक और इसके सहित टिप्पणी-6 को प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबन्ध में यथा दी गई परिशोधित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए।

अनुबन्ध

टिप्पणी-6. आवेदकों की हकदारी को या तो राज्य व्यापार निगम, भारत लि० के और या राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा पेपर मिल लि० नेपानगर के या दोनों के भरकम स्टाक के लिए प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर यथा संशोधित अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में उल्लिखित अखबारी कागज के आबंटन जारी करके पूरा किया जाएगा। प्रत्येक कागज के 25 प्रतिशत की हकदारी नेपा मिल के लिए की जाएगी। लेकिन पंजीयक अखबारी कागज यदि अपनी समझ से आवश्यक समझे तो इस प्रतिशतता को 30 प्रतिशत तक या इससे अधिक तक बढ़ा सकेगा।

टिप्पणी 1(क) विदेश से अखबारी कागज का आयात राज्य व्यापार निगम भारत लि० के माध्यम से सरणीबद्ध कर दिया गया है।

(ख) आयातों के लिए विकल्प देने वाले आवेदकों को राज्य व्यापार निगम, भारत लि० के भरकम स्टाक से ही अपना कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। खुले समुद्र विक्रय के लिए अखबारी कागज के लिए पहले से ही किए गए आबंटन वर्तमान लाइसेंस वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रचालित नहीं होंगे।

रोमा मजुमदार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975